दिनांकः 20.11.2017

सेवा में,

Medical Superintendent / Civil Surgeon
Civil Hospital
Field Ganj Rd, CMC Campus,
Ludhiana, Punjab 141008

विषयः Medical Examination से संबंधित मामले में रिपोर्ट ना दिये जानेवाले डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्यवाही करते हुये नियमानुसार रिपोर्ट दिलवाये जाने हेतु।

महोदय,

मैं जयहिंद गुप्ता उर्फ लकी गुप्ता पुत्र हीरालाल गुप्ता (पताः मकान नं. 14119, गली नं. 2, टिब्बा रोड़, लुधियाना मोब. 73554-27270) हूँ।

मैंने अपने Paytm खाते से चोरी से पैसा निकालने की शिकायत की थी जिसके सबूत होने के बावजूद आज तक उसपर कोई FIR तो दर्ज की ही नहीं बल्कि मुझ पर ही आरोपी के पूरे परिवार की तरफ से लगातार तीन-तीन मामले दर्ज कर दिये गये जिसमें दो मामले पुलिस थाने बस्ती जोधेवाल में दर्ज हुये जिसमें पहली FIR No. 236/2017 दि. 23.06.2017 आरोपी के रिश्वतखोर फूड इंस्पैक्टर भाई सुखदेव सिंह की तरफ से दर्ज हुई। इन मामलों में भ्रष्ट ACP/North सचिन गुप्ता पूरी तरह सबूतों के साथ फँसे हुये हैं जिसकी शिकायत हमारे व संगठन (भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान) की तरफ से की गई थी।

जिस वजह से ACP/North सचिन गुप्ता गुस्से में आग-बबूला हो गये और हम लोगों (मैं और Whistle Blower मुकेश ठाकुर पुत्र स्व. इंद्रकांत ठाकुर, पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना) का illegal detention FIR दर्ज करने से पहले ही करवा लिया और बाद में आरोपी के पिता जोगिन्दर सिंह की तरफ से झूठी शिकायत लेकर FIR No. 343/2017 दि. 19.08.2017 को दर्ज करवाई।

ACP/North सचिन गुप्ता ने मुझे दिनांक 19 अगस्त 2017 को सुबह 5.00 बजे के आसपास बिना कारण बताये पुलिसकर्मियों द्वारा गैर-कानूनी तरीके से घर से उठवाया और CIA ऑफिस में ASI सुलक्खन सिंह के सामने CIA ऑफिस के इंचार्ज जतिन्दर कुमार व उनके साथियों के द्वारा बुरी तरह मारा गया जिससे मेरे पैर की हड्डी टूट गई जिसके बारे में मेरे द्वारा मारनेवालों को बताया भी गया था मगर फिर भी वे रूके नहीं और ना ही कोई मैडिकल सुविधा उनके द्वारा दी गई बल्कि बिना मैडिकल व इलाज करवाये

दूसरे दिन शाम 3.45pm बजे के आसपास ड्यूटी मैजिस्ट्रेट एकता की अदालत में पेश किया गया जहाँ हमारे द्वारा मार-पिटाई की लिखित शिकायत दी गई जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट एकता द्वारा नहीं ली गई फिर हमें मैडीकल करवाने के लिये उसी दिन शाम को 5.00pm बजे के आसपास सिविल अस्पताल लाया गया जहाँ मैडीकल करवाते वक्त जब हम डॉक्टर को अपनी तकलीफ बताने की कोशिश कर रहे थे तो ASI सुलक्खन सिंह द्वारा डराया व धमकाया गया और डॉक्टर से साधारण रिपोर्ट बनवाकर हमें जेल भेज दिया गया जब हमारे द्वारा परिवारवालों को इस मार कुटाई व हड्डी टूटने की जानकारी दी गई तो काफी कोशिशों के बाद जाकर डॉ. सुशील बोध (JMIC, लुधियाना) की अदालत में परिवारवालों द्वारा Medical Examination के लिये दी गई 8 सितंबर 2017 की अर्जी 13 सितंबर 2017 को स्वीकार की गई मगर काफी दबाव के बाद जाकर 19 सितंबर 2017 को हम लोगों का Medical Examination का ऑर्डर निकाला गया जो 19 सितंबर 2017 का ना होकर 26 सितंबर 2017 का था मगर जेल में भी मेरा Medical Examination नहीं किया गया और आदेश के 40 दिन बाद जब हम जेल से जमानत लेकर बाहर आये तब अस्पताल व डॉक्टर की छुट्टियों की वजह से सिविल अस्पताल (लुधियाना) में दिनांक 18 नवंबर 2017 को Medical Examination हो पाया जहाँ मेरा X-Ray तो कर लिया गया मगर उसकी रिपोर्ट मुझे नहीं दी जा रही है|

इसे क्या समझा जाये?

क्या इस प्रकार से मैडिकल रिपोर्ट देना कानूनन जुर्म है?

क्या मुझे कानूनन मैडिकल रिपोर्ट मिलनी चाहिये?

अगर हाँ, तो कृप्या मुझे वह मैडिकल रिपोर्ट दिलाई जाये जिससे मैं अपने ऊपर हुये जुल्म, बेइंसाफी व अत्याचार का इंसाफ ले सकूँ

दोषी डॉक्टर के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाये|

मैं पंजाब मैडिकल काऊंसिल के अध्यक्ष (चेयरमैन), मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय के अलावा सिविल अस्पताल (लुधियाना) के प्रबंधकों से पूछना चाहता हूँ कि,

क्या पंजाब के लुधियाना शहर में यह सरकारी डॉक्टर देवेंद्र भारत के संवैधानिक नियमों को मानने के लिये बाध्य नहीं हैं?

क्या वे अपना अलग ही कानून चलाते हैं?

क्या इन्हें आप लोगों का सहयोग भी प्राप्त है?

अगर आप लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं है तो ऐसे डॉक्टर देवेंद्र के ऊपर तुरंत कानूनी कार्यवाही की जाये और मुझे इंसाफ दिलाया जाये,

साथ ही मुझे मेरी मैडिकल रिपोर्ट भी तुरंत दिलवाई जाये|

धन्यवाद!

Lucky
Jayhind
जयहिंद गुप्ता उर्फ लकी गुप्ता
मोब. 73554-27270

संलग्न दस्तावेज़

1. मैडिकल करवाने के लिये अदालत में लगाई गई अर्जी
2. ईमेल द्वारा सेशन कोर्ट को सोनिका क्रांतिवीर द्वारा मैडीकल करने का ऑर्डर ना दिये जाने के मामले में भेजी गई शिकायत
3. मैडीकल का ऑर्डर
4. मैडिकल ऑर्डर होने के बावजूद केवल एक का ही मैडिकल किया गया जिसकी कॉपी

प्रतिलिपी:

1. पंजाब मैडिकल काऊंसिल के अध्यक्ष (चेयरमैन)
2. मुख्यमंत्री महोदय (पंजाब)
3. राज्यपाल महोदय (पंजाब)
4. सिविल अस्पताल (लुधियाना)

<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक

India Post

RL LAHAR COLONY <141003>

RL A RP[illegible]IN

Counter No:1,OP-Code:10

To:GOVERNOR OF PUNJAB,PB RAJ BHAWAN

Chandigarh G.P.O., PIN:160017

From:JAYHIND , LDH

Wt:50grams,

Amt:32.00 ,25/11/2017 ,11:11

<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक

India Post

RL LADHA COLONY <141003>

RL A RP[illegible]IN

Counter No:1,OP-Code:10

To:MEDICAL SUPDT,CIVIL HOSPITAL FIELD

Central Post Office S.O, PIN:141008

From:LUCKY & JAYHIND , LDH

Wt:50grams,

Amt:32.00 ,25/11/2017 ,11:13

<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक

India Post

RL LAHAR COLONY <141003>

RL A RP[illegible]IN

Counter No:1,OP-Code:10

To:PB MEDICAL COUNCIL,PB MEDICAL [illegible]

MOHALI, PIN:160055

From:LUCKY & JAYHIND , LDH

Wt:50grams,

Amt:32.00 ,25/11/2017 ,11:12

<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक

India Post

RL LADHA COLONY <141003>

RL A RP[illegible]IN

Counter No:1,OP-Code:10

To:DR [illegible],STATE MEDICAL [illegible]

[illegible] H.O, PIN:[illegible]

From:LUCKY & JAYHIND , LDH

Wt:50grams,

Amt:32.00 ,25/11/2017 ,11:14

<<Track on www.indiapost.gov.in>>